राज सहायता में कमी करने के पक्ष में) शीर्षक से छपे समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उच्च शिक्षा पर वित्तीय राज सहायता में कमी करने की विशेषज्ञों की सलाह पर विचार किया है; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमन भाई मेहता):** (क) से (ग) उच्च शिक्षा को स्व-वित्त पोषित बनाने की जरूरत के बारे में समाचार पत्रों में छपी रिपोर्टों की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है। सरकार इस मामले पर ध्यान दे रही है।

**तकनीकी शिक्षा के लिये फीस बढ़ाने का प्रस्ताव**

72. **श्री बलराम सिंह यादव:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने राज्य सरकारों द्वारा तकनीकी शिक्षा हेतु छात्रों से ली जा रही फीस बढ़ाए जाने का प्रस्ताव रखा है : और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है तथा फीस में वृद्धि करने का सुझाव देने के क्या कारण है ?

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमन भाई मेहता):** (क) और (ख) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद को कार्यकारी समिति ने यह नोट किया है कि तकनीकी शिक्षा संस्थाओं में व्याप्त वर्तमान शुल्क ढांचा अधिकांश रूप से पूर्व-स्वतंत्रता स्तर पर है और इसकी समीक्षा करने की आवश्यकता है। इस समय लगभग 162 अनुमोदित इंजीनियरी कालेज तथा 500 पालिटेक्निक हैं। एक इंजीनियर और डिप्लोमाधारी के प्रशिक्षण का अनुमानित आवर्ती व्यय प्रति छात्र प्रतिवर्ष 2000 रु० और 8000 रु० है। एक इंजीनियरी कालेज की स्थापना के लिए अपेक्षित न्यूनतम और वांछनीय अनावर्ती व्यय क्रमशः 6.65 करोड़ रु० और 7.59 करोड़ रु० है। एक पालिटेनक को स्थापित करने के लिए तदनुरूपी राशि क्रमशः 3.87 करोड़ रु० और 4.91 करोड़ रु० है। आठवीं योजना के दौरान तकनीकी संस्थाओं के आधुनिकीकरण के लिए अपेक्षित राशि 3000 करोड़ रु० का अनुमान है। समिति का यह विचार था कि तकनीकी संस्थाओं में शुल्कों को और अधिक वास्तविक स्तर पर लाने की तत्काल आवश्यकता है ताकि वसूल की जाने वाली फीसों और प्रशिक्षण की वास्तविक लागत के बीच कुछ उचित सम्पर्क हो। तथापि, कठिनाई यह है कि एक औसत भारतीय की अदायगी क्षमता सीमित है और यदि शुल्कों में पर्याप्त वृद्धि की जाती है तो छात्रों के लिए कुछ ऋण संबंधी प्रबन्ध करने होंगे जिन्हें रोजगार मिलने के बाद वे उसे कुछ समय के अन्दर लौटा सकें। यह मेधावी छात्रों को अवसर प्रदान करेगा और न केवल उनको जो अधिक शुल्क अदा कर सकते हैं।

**उच्च शिक्षा में छात्रों पर किये जा रहे खर्च में परिवर्तन करने का प्रस्ताव**

73. **सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा :**
**श्री राम जेठमलानी:**

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उच्च तकनीकी तथा शैक्षिक संस्थाओं में विद्यार्थियों पर खर्च करने की वर्तमान प्रणाली में परिवर्तन करने पर विचार कर रही हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान में प्रत्येक छात्र पर लगभग 1 लाख रुपया खर्च किया जाता है जबकि ट्यूशन फीस के रूप में उस से केवल 5000 रुपये वसूल किए जाते हैं ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) क्या सरकार भविष्य में इस विषय में नई नीति अपनाने का विचार रखती है ; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमन भाई मेहता ) :** (क) से (घ) उच्चतर तकनीकी और शैक्षिक संस्थाओं में शिक्षा शुल्कों को और अधिक स्तर पर लाने का प्रस्ताव है ताकि वसूल किए गये शुल्कों और प्रशिक्षण की वास्तविक लागत के बीच कुछ उचित संबंध हो तथापि कठिनाई यह है कि एक औसत भारतीय की अदायगी क्षमता सीमित है और यदि शिक्षा शुल्क में वृद्धि की जाती है तो तकनीकी संस्थाओं में प्रवेश पाने वाले छात्रों के लिए कुछ ऋण संबंधी प्रबंध करने होंगे जिन्हें वे रोजगार में लग जाने के बाद कुछ समयावधि में वापस लौटा सकते हैं । यह सभी मेधावी छात्रों को अवसर प्रदान करेगा और न कि मात्र उनको जो अधिक शिक्षा शुल्क प्रदान कर सकते हैं ।

मोटे तौर पर यह अनुमान लगाया गया है कि एक आई० आई० टी० स्नातक के प्रशिक्षण की लागत 1 लाख रुपये है जबकि वसूल किया जाने वाला शिक्षा शुल्क नाम मात्र है भारती प्रौद्योगिकी संस्थान के निदेशकों से वास्तविक लागत निकालने के लिए अनुरोध किया गया है।

**दिल्ली में नये महाविद्यालयों की स्थापना**

**74. सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा :**
**श्री राम जेठमलानी :**

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में इस वर्ष स्नातक कक्षाओं में केवल 28076 सीटें उपलब्ध हैं जबकि पात्र विद्यार्थियों की संख्या 57613 है ;

(ख) यदि हां, तो नये महाविद्यालय न खोलने के क्या कारण हैं तथा दिल्ली में कब से कोई नया महाविद्यालय नहीं खोला गया है ;

(ग) क्या छात्रों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए सरकार इस वर्ष नये महाविद्यालय खोलेगी ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्य कारण हैं ?

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमन भाई मेहता) :** (क) से (घ) दिल्ली विश्वविद्यालय अध्यादेशों के प्रावधानों के अनुसार, जिन छात्रों ने केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सीनियर स्कूल प्रमाणपत्र परीक्षा (कक्षा-XII) या इसके समकक्ष परीक्षा 40% या इससे अधिक अंकों से उत्तीर्ण की है, वे छात्र 17 वर्ष की न्यूनतम आयु सीमा पूरी करने पर कालेज में अवरस्नातक पाठ्यक्रम में नियमित छात्र के रूप में प्रवेश पाने के पात्र हैं ।

दिल्ली विश्वविद्यालय ने सूचित किया है कि 57613 छात्र, जिन्होंने दिल्ली से सीनियर माध्यमिक तथा समकक्ष परीक्षा 40% या इससे अधिक अंकों से उत्तीर्ण की है, वे विभिन्न अवरस्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने के पात्र हैं । इसके मुकाबले विश्वविद्यालयों अवरस्नातक पाठ्यक्रम में 55,386 छात्रों को प्रवेश दे सकता है। इसमें से 29,076 स्थान कालेजों में उपलब्ध हैं, 3510 स्थान नानकालेजियेट हिला शिक्षा बोर्ड में तथा 22,800 स्थान पत्राचार तथा सतत शिक्षा पाठ्यक्रम में हैं । इसके अतिरिक्त, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने दिल्ली विश्वविद्यालय के शैक्षिक सत्र 1990-91 से दिल्ली के कई कालेजों में करीब 875 छात्रों की क्षमता वाले विभिन्न नए पाठ्यक्रम आरंभ करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है । दिल्ली विश्वविद्यालय ने सूचित किया है कि प्रवेश की बढ़ती मांग को देखते हुए दो नए कालेज, एक 300 स्थान वाला पश्चिम दिल्ली कर्मपुरा में तथा